समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 196/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा मो0 इरफान अली, पिता- निसार अहमद, सा0-रहटा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1898/1900 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र मो0 महफुजुर्रहमान द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- मो0इरफान अली की मृत्यु दिनांक 16-06-2008 हो चुकी है और दो नाली बन्दूक संख्या-10364 दिनांक 26-07-2008 से मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा कर दिया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् इरफान अली को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1898/1900 को रद्द किया जाता है।

मो0 महफुजुर्रहमान को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पिता स्व0 इरफान अली को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1898/1900 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 इरफान अली का एक दो नाली बन्दूक 10364 जो दिनांक 26-07-2008 को आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र मो0 महफुजुर्रहमान द्वारा दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1898/1900 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 50 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014.

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज /मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : मो0 महफुजुर्रहमान, पिता- स्व0 मो0 इरफान अली, सा0-रहटा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा